

राजस्थान सरकार
अधीक्षक, मानसिक विमदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह
सेठी कॉलोनी, जयपुर (फोन नं. 0414-2617054)

क्रमांक 484

दिनांक 3-9-2014

निविदा आमंत्रण सूचना-04/2014-15

राज्यपाल महोदय की और से विमदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में विमदित बालकों एवं महिलाओं के लिये एक वर्ष की अवधि के लिये निम्न कार्य / आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदाएँ निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें आदि इस कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर कार्यालय कार्य दिवस में दिनांक 24.09.2014 को 5:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। बयाना राशि (अर्नेस्त मनी) के बिना जमा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	निविदा शुल्क	बयाना राशि
1	लगभग 164 आवासियों के वस्त्र (पहनने, ओढ़ने, बिछाने,) नेकर, पेन्ट, महिलाओं के वस्त्र, दरियां, चटाईयां, कम्बल, गद्दे आदि की धुलाई एवं प्रेस का कार्य मय धुलाई/प्रेस करने की समस्त सामग्री।	600000/-	200/-	12000/-

भरी हुई निविदायें दिनांक 26.09.2014 को दोपहर 2:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा करायी जा सकती है। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाएँ दिनांक 26.09.2014 को समय 3:00 बजे क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। अपूर्ण एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।



अधीक्षक

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
सेठी कॉलोनी, जयपुर

निविदा फार्म

- विषय: विमंदित बालको एवं महिलाओं की वस्त्र धुलाई व प्रेस के कार्य के लिये निविदा प्रपत्र।
- निविदादाता फर्म/संवेदक का नाम एवं डाक का पता.....
.....
- निविदादाता फर्म/संवेदक का फोन एवं मोबाइल नम्बर
- सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक- 04/2014-15 दिनांक
- निविदा शुल्क की राशि 200/- अक्षरे चार सौ मात्र नकद (रसीद संख्या)/ डी.डी. /बैंकर्स चैक नम्बर.....दिनांक.....के द्वारा जमा करा दी गयी है।
- हम अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह, विशेष योग्यजन विभाग, सेठी कोलोनी जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या 04/2014-15 दिनांक.....में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट(इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
- आवासीयों के वस्त्र धुलाई व प्रेस के कार्य बाबत हमारी दर निम्न प्रकार है:-

क्रस.	कार्य का विवरण	मासिक दर	विवि
1	लगभग 164 आवासियों के वस्त्र (पहनने, ओढ़ने, बिछाने) नेकर, पेन्ट, महिलाओं के वस्त्र, दरियां, चटाईयां, कम्बल, गद्दे आदि, की धुलाई एवं प्रेस कार्य मय धुलाई / प्रेस करने की समस्त सामग्री।	(मय समस्त करों एवं आनुषंगिक प्रभारों के विवरण सहित) रुपये:-..... अक्षरे.....	



- 8 फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से 7 दिवस की अवधि के भीतर वस्त्र धुलाई व प्रेस का कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।
- 9 संविदा मूल्य की 50 प्रतिशत तक अधिक राशि का कार्य आदेश क्रय समिति के अधीन बढ़ाया जा सकता है।
- 10 बयाना राशि रूपये 12000/-अक्षरे बारह हजार मात्र के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैंक संख्या.....जो (बैंक का नाम).....
.....पर आहरित किया गया है/नकद रसीद संख्या...../चालान संख्या.....और दिनांक.....
.....रूपये.....संलग्न है।
- 11 सेवा प्रदाय करने हेतु श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या.....
.....दिनांक..... वैद्यता अवधि.....की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
- 12 आयकर स्थाई खाता संख्या.....
- 13 सर्विस टैक्स पंजीयन संख्या.....दिनांक.....
- 14 अन्य संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करें)
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.

5/10/1

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर मय नाम

प्रतिबन्ध एवं शर्तें

टिप्पणी:- निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदाये भेजते समय इन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये ।

1. निविदाओ को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहर बन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिये तथा लिफाफे पर "विमंदित महिलाओं एवं बालकों के वस्त्र धुलाई के निविदा" अंकित करना होगा।
2. व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदाओ पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
3. निविदादाता को अनुमानित लागत रु 600000/- का 2 प्रतिशत राशि रु. 12000/- बयाना राशि (अनस्टमनी) नकद/बक ड्रापट/बकस चक के द्वारा अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह के नाम निविदा पत्र के साथ जमा करानी होगी। बिना बयाना राशि जमा कराये निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. फर्म को किसी छात्रावास या चिकित्सालय में वस्त्र धुलाई कार्य का एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव का प्रमाण पत्र, आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड) एवं रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, सर्विस टैक्स का पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (प्रमाणित प्रतियां) उस के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. फर्म आदि के गठन को किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबन्धित फर्म/संस्था द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा। संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तक स्वीकार नहीं किया जावेगा जबकि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार को रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्त होगी।
6. निविदादाता द्वारा दरे उचित स्थान पर अंकों एवं शब्दों दोनों में लिखी जानी चाहिये। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ एवं कांट छांट पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर किये जाने पर अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र बालपेन या टंकण से भरा जावेगा।
7. मोहर बंद निविदा प्रपत्र मय बयाना (अनस्टमनी) राशि 12000/- (अक्षरे बारह हजार मात्र) दिनांक 26.09.2014 को 2 बजे दोपहर तक अधीक्षक मानसिक विमंदित एवं बाल पुनर्वास गृह, विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर के कार्यालय में रखे हुये टेण्डर बाक्स में पहुंच जानी चाहिये निविदाये दिनांक 26.09.2014 को 3:00 बजे खोली जावेगी।
8. विधि मान्यता : निविदाये उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।
9. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नहीं सौपेगा या उप भाडे (सबलैट) पर नहीं देगा।
10. निविदादाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
11. असफल निविदादाताओ को बयाना राशि एक माह मे (निविदा स्वीकृत होने की तिथि से) वापस कर दी जायेगी।
12. करार एवं प्रतिभूति निक्षेप:-
 - i सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार 500 /-रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिये निविदाये स्वीकार की गई है। उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिवस के भीतर जमा करायी जायेगी।
 - ii निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि कि लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दिशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।
 - iii प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।

2014/10/1

iv प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे:-

(क) नकद/ बैंक ड्रापट / बैंकर्स चैक / चालान की रसीदी प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगा।

(ग) अल्प बचत को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या अन्य कोई स्क्रिप्ट/ विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जावेगा।

V करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

Vi प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया नहीं है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जायेगी।

13. बयाना राशि का समपहरण बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जायेगा:-

I जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, उसमें रूपान्तरण करता है।

ii जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।

iii जब निविदादाता ठेके के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो

iv जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने में असफल रहता हो

14 प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण: प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जायेगा :-

I जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

ii जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने के असफल रहा हो।

iii प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

15. ठेकेदार द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने पर उसे 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

16. ठेके की अवधि एक वर्ष तक मान्य होगी। वस्त्र धुलाई एवं प्रेस का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ठेका विभाग विकल्प पर 6 माह के लिये उन्ही दरो पर बढ़ाया जा सकेगा। जिसके लिये संवेदक बाध्य होगा। 6 माह की अवधि के बाद दोनों की सहमति से 6 माह अवधि और बढ़ायी जा सकेगी।

17. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार अधीक्षक को होगा।

18. सरकार द्वारा विहित सेवा कर (सर्विस टैक्स) एवं अन्य सभी कर आदि फर्म द्वारा ही वहन किये जावेगे।

19. भुगतान:- भुगतान अग्रिम नहीं किया जायेगा। जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, कार्य के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

20. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो उसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्तें को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

21. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन कार्यों के

लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्तायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

22 निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नालिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-

i यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अभिप्रमाणित प्रति।

ii यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

iii एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता टेलीफोन नंबर।

iv कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

23 यदि संविदा के निर्वहन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी को नियुक्त करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा एवं मान्य होगा।

24 समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में जिला न्यायालय में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।

25 संस्था में वस्त्र धुलाई के कार्य हेतु किसी भी दिन अवकाश नहीं रहेगा। धुलाई करने वाले कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी से पीडित नहीं हो तथा पूर्ण स्वस्थ हो धुलाई कर्मचारी प्रातः 9 बजे से संस्था में उपस्थित होंगे एवं सायं आवासियों के समस्त वस्त्रों की धुलाई एवं प्रेस करने के बाद जायेंगे। आवश्यकता अनुसार कार्य समय में परिवर्तन भी किया जा सकता है।

26 धुलाई हेतु दिये गये वस्त्र डिलीवरी के समय से 24 घन्टे में धोकर, सुखाकर एवं प्रेस कर उपलब्ध करवाने होंगे। निर्धारित समय के विलम्ब पर नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति देय होगी:-

अ निर्धारित समय से 6 घन्टे तक विलम्ब के लिये उस दिन की देय राशि का 2.5 प्रतिशत

ब निर्धारित समय से 6 घन्टे से 12 घन्टे तक विलम्ब के लिये उस दिन की देय राशि का 5 प्रतिशत

स निर्धारित समय से 12 घन्टे से 18 घन्टे तक विलम्ब के लिये उस दिन की देय राशि का 7.5 प्रतिशत

द निर्धारित समय से 18 घन्टे से 24 घन्टे तक विलम्ब के लिये उस दिन की देय राशि का 10 प्रतिशत

27 उक्त निविदा लगभग 164 मानसिक विमंदिता आवासियों की वस्त्रों की धुलाई के कार्य प्रतिदिन करने हेतु है जिसमें आवासियों के पहनने, ओड़ने एवं बिछाने के वस्त्र यथा नेकर, पेन्ट, महिलाओं सूट, दरियां, चटाईयां, कम्बल, गद्दे, आदि (मल मूत्र एवं गंदगी से सने वस्त्र भी शामिल है) की धुलाई एवं प्रेस करनी होगी। ठेकेदार को धुलाई हेतु आदेशानुसार कुल 7 महिला व पुरुष कर्मचारी रखने होंगे।


28 वस्त्र धुलाई एवं प्रेस की दरे मय उपयोग में ली जाने वाली धुलाई सामग्री एवं अन्य समस्त करों एवं आनुषंगिक प्रभारों सहित प्रस्तुत की जानी चाहिए।

29 ठेकेदार को वस्त्र धुलाई के लिये निःशुल्क पानी, प्रेस के लिये टेबल, धुलाई एवं प्रेस हेतु जगह की व्यवस्था कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी। अन्य समस्त सामग्री के व्यय का भार ठेकेदार को वहन करना होगा विद्युत उपकरण काम में लेने पर सबमीटर एवं सबमीटर के अनुसार विद्युत खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा।

30 फर्म /संवेदक द्वारा नियुक्त कर्मचारी को दैनिक मजदूरी का भुगतान नियमानुसार करना होगा जो न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा। फर्म को अगले माह का भुगतान, गत माह के भुगतान करने की रसीद/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जावेगा। संवेदक को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना का सुनिश्चयन करना होगा। इसके लिये वह व्यक्ति जिम्मेदार होगा।

31 धुलाई एवं प्रेस संबंधित कार्य करते समय यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है जो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उसके लिये मुआवजा आदि देने का भार संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिये किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नहीं होगा।

- 32 न्यूनतम मजदूरी/ पी.एफ./ई.एस.आई. व अन्य राजकीय अधिनियम की पालना सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी फर्म/ संवेदक की है तथा संबंधित की कटौती के जमा के चालान की प्रति मांगें जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।
- 33 ठेके की अवधि में यदि कर्मचारी द्वारा हडताल की जाती है। और फर्म/संवेदक इस अवधि में वस्त्र धुलाई का कार्य करने में असमर्थ रहती है तो विभाग द्वारा संवेदक के रिस्क व कोस्ट पर अपने स्तर पर वस्त्र धुलाई एवं प्रेस संबंधित कार्य कराने में राशि व्यय की जा सकेगी और वह राशि संवेदक को देय मासिक बिल की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि में से समायोजित कर ली जावेगी।
- 34 वस्त्र धुलाई एवं प्रेस करने संबंधित कर्मचारियों की उपस्थित कार्यालय के प्रभारी /कर्मचारी के पास उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज करानी होगी। संवेदक द्वारा नियुक्ति से पूर्व वस्त्र धुलाई एवं प्रेस करने वाले कर्मचारियों के निवास /स्थायी पत का पूरा विवरण उपलब्ध कराना होगा एवं अपन कर्मचारियों को पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा। बिना पहचान पत्र विमंदिता गृह में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 35 वस्त्र धुलाई एवं प्रेस करने का कार्य करने वाले कर्मचारियों को अधीक्षक के आदेशानुसार निर्धारित रंग का एवं संवेदक फर्म का नाम लिखा हुआ एप्रिन पहनना अनिवार्य होगा।
- 36 अधीक्षक/निरीक्षक कमेटी/ उच्चधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय फर्म से संबंधित कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर 800/- की कटौती एक बार में की जावेगी।
- 37 जामडोली में नवीन भवन का निर्माण किया जा रहा है भविष्य में संस्था के संविधा अवधि के दौरान नवीन भवन में शिफ्ट होने पर इसी दर पर फर्म को नवीन स्थान पर वस्त्र धुलाई एवं प्रेस संबंधित कार्य करवाने होंगे। अधीक्षक के आदेश पर वस्त्र धुलाई एवं प्रेस करने वाले कर्मचारी बदलने होंगे, यदि किसी वस्त्र धुलाई एवं प्रेस कर्ता से त्रुटि होती है तो फर्म/संवेदक उसका पूर्ण जिम्मेदार होगा।
- 38 उपलब्ध कराये गये वस्त्र धुलाई एवं प्रेस कर्मी पर प्रशासनिक नियन्त्रण कार्यालय अध्यक्ष/अधीक्षक का होगा।
- 39 संवेदक/फर्म केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं उनके उपक्रमों द्वारा ब्लैक लिस्टेंड नहीं होनी चाहिये।
- उपरोक्त कार्य संबंधी शर्तें, मैंने पढ़ ली है, ओर स्वीकार किया है।



(हस्ताक्षर निविदादाता)

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/ हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मामलों के लिये निविदा दी है उनके हम संव्यवहारी हैं हमने निविदा शर्तों के विरुद्ध कोई शर्त नहीं लगाई है अगर कहीं अंकित कर दी गयी है तो वापस ली हुयी मानी जाती हैं/माना जायगा।

यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/ हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम व पता